[भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 2016

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1995 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

5. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

6. परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

7. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |

8. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक अधिकारी	1* (2016) (एक) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	पे-मेट्रिक्स (47600-15100 रु.) में लेवल 8	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती क्रिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
पदोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)	ऐसे कार्यालय अधीक्षक के पद से पदोन्नति जिन्होंने पे-मैट्रिक्स 35400-112400 रु. में लेवल 6 में नियमित आधार पर छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति: (अल्पकालिक संविदा सहित) (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथा विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त शोध संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; अथवा (ii) जिन्होंने पे-मैट्रिक्स 35400-112400 रु. में लेवल 6 में नियमित आधार पर छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा पे-मैट्रिक्स (44900-142400 रु.) में लेवल 7 में नियमित आधार पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ख) जो प्रशासन, लेखा और संस्थापन में, अधिमानत: अस्पताल प्रशासन में तीन वर्ष का अनुभव अनुभव रखते हों।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय पदोन्नति समिति: अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल चिकित्सालय - अध्यक्ष चिकित्सा शिक्षा के प्रभारी उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज- सदस्य	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[ए.11018/36-2016-एमएच-II]

(संजय पंत)

अवर सचिव, भारत सरकार